–ः कार्यालय आदेश ः–

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु वित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ৰ্লোক
1		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BORKHERA (503952)	CHITTORGAR H		Mathematics/ Science	Teacher Level-2	Mathematics/ Science	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NP BADI SADRI (224403)(08291217003)	BADISADRI



Digitally signed by Kalrana Sharma Designation, District Education Officer Date: 2023.10.07 r.0:17:39 IST Reason: Approved Page 1 of 2



शर्ते :–

- 1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-क के तहत् शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
- 4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
- 5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा) जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ दिनांकः– 07-10- 2023

क्रमांकः जिशिअचि—माध्य/संस्था./टीएसपी—नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 6 निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ / उदयपुर / बांसवाड़ा / डूंगरपुर |
- 8 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिंक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।

10 संबंधित कार्मिक।

11 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

Signature yalid

Digitally signed by Kalpana Sharma Designation District Education Officer Date: 2023.10.97 20:17:39 IST Reason: Approved Page 2 of 2



--:: कार्यालय आदेश :---

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ–1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 दिनांक 28.01. 2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ–1ए/टीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

ब्र	व	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1			GOVT. PRIMARY SCHOOL PATEL FALA (469754)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	General	Senior Teacher	General	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AMLIYA JI KA KHEDA (412648) (08290809602)	DUNGLA

Signature valid

Digitally signed by Kalrana Sharma Designation, District Education Officer Date: 2023.10.07 10:17:39 IST Reason: Approved Page 1 of 2



- 1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-क के तहत् शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
- 4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
- 5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

दिनांक:- 07-10- 2023

क्रमांकः जिशिअचि—माध्य/संस्था./टीएसपी—नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 6 निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़/उदयपुर/बांसवाड़ा/डूंगरपुर।
- 8 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिंक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- 10 संबंधित कार्मिक।
- 11 रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No. : 4868846

Signature valid

Digitally signed by Kalmana Sharma Designation District Education Officer Date: 2023.10.07 10:17:39 IST Reason: Approved Page 2 of 2 जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ



--:: कार्यालय आदेश :---

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	ARI	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DODIYARKHEDA (413528)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Hindi	Teacher Level-2	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PALCHA (224164)(08290511402)	CHITTORGARH
2	JITENDRA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HADMTIYA JAGIR CHOTI SADRI PRATAPGARH (472387)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Hindi	Teacher Level-2	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL REWARA (224020)(08290100201)	RASHMI

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma Designation District Education Officer Date: 2023.10.07 10:17:39 IST Reason: Approved Page 1 of 2



शर्ते :–

- 1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-क के तहत् शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
- 4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
- 5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ दिनांक:-- 07-10- 2023

क्रमांकः जिशिअचि—माध्य/संस्था./टीएसपी—नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 6 निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ / उदयपुर / बांसवाड़ा / डूंगरपुर |
- 8 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिंक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान / पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- 10 संबंधित कार्मिक।
- 11 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

Signature valid

Digitally signed by Kalmana Sharma Designation, District Education Officer Date: 2023.10.07 10:17:39 IST Reason: Approved Page 2 of 2



–ः कार्यालय आदेश ः–

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 दिनांक 28.01. 2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07. 2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1 1	MONIKA DUNGARWAL	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KHIJANKHEDA (403825)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Sanskrit	Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KOSHITHAL (402988)(08290907602)	BHADESAR
2	HARDEVI	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHHAYAN (480300)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Sanskrif		Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JHADOL (487784)(08290321901)	BEGUN
3	LAVKUSH SHARMA	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MEHANDIKHEDA (472284)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Sanskrit		Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NALDA (487000)(08290505301)	CHITTORGARH
4	VIJAY KANT SHARMA	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SEMLI (413542)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Sanskrit		Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHIMKHAND (486345)(08290608101)	KAPASAN

Signature valid

Digitally signed by Kalrana Sharma Designation, District Education Officer Date: 2023.10.07 10:17:39 IST Reason: Approved Page 1 of 2



शर्ते :--

- 1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-क के तहत् शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
- 4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
- 5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ दिनांक:— 07-10- 2023

क्रमांकः जिशिअचि—माध्य/संस्था./टीएसपी—नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 6 निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ / उदयपुर / बांसवाड़ा / डूंगरपुर |
- 8 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान / पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- 10 संबंधित कार्मिक।
- 11 रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No. : 4868846

Signature yalid

Digitally signed by Kalmana Sharma Designation . District Education Officer Date: 2023.10.07 r0:17:39 IST Reason: Approved Page 2 of 2 जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ



–ः कार्यालय आदेश ः–

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2020/ दिनांक 30.07.2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ शिक्ता राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ৰ্লোক
1		GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MOJAL (505085)	PRATAPGARH		Social Studies	Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GANGA JI KA KHERA (483136)(08290516701)	CHITTORGARH
2	BHAGWAN SINGH CHOUHAN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL HADMTIYA KUNDAL (472380)	PRATAPGARH		Social Studies	Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHILGATTI (487159)(08290908601)	BHADESAR
3	ROSHAN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KHEDIARYA NAGAR (472353)	PRATAPGARH		Social Studies	Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KEERKHEDA (484699)(08290609301)	KAPASAN
4	RAM SINGH SAINI	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL RAWATPURA (414467)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Social Studies	Senior Teacher	General	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MANYAS (472022)(08290104706)	RASHMI

Signature valid

Digitally signed by Kalrana Sharma Designation, District Education Officer Date: 2023.10.07 10:17:39 IST Reason: Approved Page 1 of 3



	CHAND	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LALPURA (487076)		Teacher Level-2	Social Studies	Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JALAMPURA BEGUN CHITTAURGARH (467553)(08290306301)	BEGUN
-			CHILLORGARH	Teacher Level-2	Social Studies	Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AMALDA (483207)(08290316701)	BEGUN
7	IPRASAD	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHIKLI (475768)	PRATAPGARH	Teacher Level-2		Senior Teacher	General	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GOPALPURA (437494)(08290403311)	BHAINSROADGA RH
	IPRASAD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAMET (479100)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Social Studies	Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MOHAN NAGAR (502949)(08290414001)	BHAINSROADGA RH

शर्ते :--

इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए। 1.

किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति 2. में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।

विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144–क के तहत् शिक्षा विभाग से अन्य 3. विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।

उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे। 4.

कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। 5.

> (कल्पना शर्मा) जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

दिनांकः- 07-10- 2023

क्रमांकः जिशिअचि—माध्य/संस्था./टीएसपी—नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 1
- विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विश्व राज्यभाव समाहार ज्यापुर signature 2



Digitally signed by Kalpana Sharma Designation, District Education Officer Date: 2023.10.07 20:17:39 IST Reason: Approved Page 2 of 3



- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 6 निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ / उदयपुर / बांसवाड़ा / डूंगरपुर।
- 8 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिंक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान / पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- 10 संबंधित कार्मिक।
- 11 रक्षित पत्रावली।



Digitally signed by Kalrana Sharma Designation, District Education Officer Date: 2023.10.87 (20:17:39 IST Reason: Approved Page 3 of 3



--: कार्यालय आदेश :--

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 दिनांक 28.01. 2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07. 2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07. 2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

ब्र	ิด	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	1		MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KARUNDA (475749)	PRATAPGARH	Teacher Level-1		Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NAVEEN CHANDERIYA (487744)(08290523701)	CHITTORGARH
2	2	DEEPIKA RATHORE	GOVT. PRIMARY SCHOOL NAYAKHEDA (472327)	PRATAPGARH	Teacher Level-1		Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MOHANPURA (495415)(08290407301)	BHAINSROADGA RH

Signature valid

Digitally signed by Kalrana Sharma Designation, District Education Officer Date: 2023.10.87 (0:17:39 IST Reason: Approved Page 1 of 5



3	INISHA SAIN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ACHARI (410741)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHAMTI KHERA (442956)(08290525103)	CHITTORGARH
4		GOVT. PRIMARY SCHOOL MOTAKUVA (401633)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SADAPURA (487177)(08290213901)	GANGRAR
5		MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KARUNDA (475749)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SUKHPURA (466225)(08290401401)	BHAINSROADGA RH
6	IMEGHA BAIS	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BASAD (467561)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MEVDA COLONY (501387)(08290600401)	KAPASAN
7	Mamta kumari	GOVT. PRIMARY SCHOOL MAHUDI FALA Presently deputed (Rajba Hostel Baran)	BANSWARA	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SHYOPURIYA (487702)(08290418002)	BHAINSROADGA RH
8		GOVT. PRIMARY SCHOOL GUMANPURA (469798)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHANDAKUDI (413513)(08290415901)	BHAINSROADGA RH
9	KULVINDER KAUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KUSHALBAG BANSWARA (463219)	BANSWARA	Teacher Level-1 (Special Educatio	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JALKI KA KHEDA (487190)(08290212701)	GANGRAR
10	SAUNAM KUMARI	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BAREKHAN CITY (504572)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GRAM DUVAVA SONAGAR (407973)(08290501001)	CHITTORGARH

Signature valid Digitally signed by Kalmana Sharma Designation / District - ducation Officer Date: 2023.10.07 c0:17:39 IST Reason: Approved Page 2 of 5



11	RAJNI YADAV	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BARWADA GURJAR (501773)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL U.P.S. BENIPURIYA (487814)(08290606101)	KAPASAN
12	SEETA AHIR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL UMMEDPURA (469786)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LASADIYA KHURD (435200)(08290105001)	RASHMI
13	RACHNA LAKHERA	GOVT. PRIMARY SCHOOL DEVKHEDA (506144)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KEER KHEDA (505713)(08290105501)	RASHMI
14	BABULAL MEENA	GOVT. PRIMARY SCHOOL BADAKHORA (504053)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL RAYTI (483171)(08290313801)	BEGUN
15	ANIL KUMAR JINDAL	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MUVAI (469755)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHANI (424566)(08290700501)	BHOPAL SAGAR
16	VINOD KUMAR SHARMA	GOVT. PRIMARY SCHOOL PIPRODI (505411)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GORSIYA (412723)(08290511801)	CHITTORGARH
17	ISATISH SHARMA	GOVT UPPER PRIMARY SCHOOL PADLIYA(407053)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NO. 1 (483175)(08291218401)	BADI SADRI
18	JITENDRA KUMAR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BAGKHORA (475784)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KAROLI (407968)(08291200501)	BADI SADRI

Signature valid Digitally signed by Kalmana Sharma Designation / District - ducation Officer Date: 2023.10.07 c0:17:39 IST Reason: Approved Page 3 of 5



19	JEETENDRA KUMAR	GOVT. PRIMARY SCHOOL PANDVALIPADA KUPDA (505582)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL PALAKHEDI (503533)(08291200901)	BADI SADRI
20	DEEPAK YADAV	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHANAVEJI (475941)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SUREDA (483227)(08290808801)	DUNGLA
21	BHUPESH KUMAR SHARMA	GOVT. PRIMARY SCHOOL MORIYAN KHEDA (491004)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHAGAL (505263)(08291213401)	BADI SADRI
22	RAVIKANT SHARMA	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHANAVEJI (475941)		Teacher Level-1 (Special Educatio	 Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHIYANA (487210)(08291203001)	BADI SADRI

शर्ते :—

- 1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-क के तहत् शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
- 4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
- 5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा) जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ



Digitally signed by Kalmana Sharma Designation, District Education Officer Date: 2023.10.87 (20:17:39 IST Reason: Approved Page 4 of 5



क्रमांकः जिशिअचि—माध्य/संस्था./टीएसपी—नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 6 निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ / उदयपुर / बांसवाड़ा / डूंगरपुर।
- 8 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिंक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- 10 संबंधित कार्मिक।
- 11 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ



Digitally signed by Kalmana Sharma Designation / District - ducation Officer Date: 2023.10.07 r.0:17:39 IST Reason: Approved Page 5 of 5

